न्यायालय

संख्या 06/2018

रामजीलाल बनाम सरकार
धारा - 128 LR Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	7/5/18	प्रार्थी रामजीलाल पुत्र बड़ी व अन्य की ओर से अन्तर्गत धारा 128 LR Act के तहत पेश किया। जिसमें अंकित किया कि ग्राम पिरासना के ख०नं० 279 रकबा 4.05 हैक्ट० प्रार्थीगण की अन्य सहखातेदारो के साथ शामलाती भूमि है। उक्त भूमि का दिनांक 20/7/02 को मुर्द में सीमाज्ञान हो चुका है उक्त चाहरदीवारी भूमि के लगभग उत्तर-पश्चिम की ओर ख०नं० 256, 257, 277, 281 राजकीय भूमि स्थित है। ख०नं० 256, चरागाह भूमि एवं 257 आबादी ग्राम पंचायत पिरासना, की भूमि, ख०नं० 277 गै०मु० तलाई, एवं ख०नं० 281 गै०मु० बाड़ा स्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र के न्याय आपके द्वारा कैम्प फुरेलाव में दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट ली गई जो शामिल फाइल है। लेकिन अदालत की भावना के उभय पक्षों को सुन जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act को स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि चाहरदीवारी आराजी ख०नं० 279 पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त भूमि की चारो ओर की सीमाऐं की पत्थरबन्दी कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मय्यरे से फाइल हो। चाहरदीवारी दाखिल रजिस्टर हो। निकेप भण्डारे में स्थगन आदेश सुरक्षित रखा।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)